राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– वित्त/2024–25/05 दिनांक :– 09/04/25

E-File No. CE-I/RHB/2025/Committee formation-06626-6915680

–:कार्यालय आदेश:–

RTPP Act-2012 & Rules 2013 के **नियम** संख्या 3 की अनुपालना में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विभिन्न Goods/Works/Services (Except various consultancy services) के उपापन हेतु पूर्व में जारी आदेशों के अधिक्रमण में निम्नानुसार समितियों का गठन किया जाता है –

(A) PREPARATION OF BIDDING DOCUMENTS

1. संबंधित उप आवासन आयुक्त
2. संबंधित आवासीय अभियन्ता
3. तकनीकी सहायक–उप आवासन आयुक्त
4. सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी वृत कार्यालय
5. कार्य हेतु नियुक्त सलाहकार (यदि नियुक्ति की गयी हो)

(बिड राशि 0.75 करोड़ तक के बिड़ प्रपत्र संबधित उप आवासन आयुक्त द्वारा एवं 0.75 करोड़ से अधिक की बिड़ राशि के बिड प्रपत्र सबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता की स्वीकृति उपरान्त बिड में अपलोड किये जायेगें।)

(B) OPENING OF BIDS :-

(i) Bid amount up to Rs. 0.25 Cr.

1. आवासीय अभियन्ता
2. परियोजना अभियन्ता– वरि./कनि.
3. सहायक लेखाधिकारी

(ii) Bid amount Rs. 0.25 Cr. to 0.75 Cr.

1. उप आवासन आयुक्त
2. आवासीय अभियन्ता
3. तकनीकी सलाहकार–उप आवासन आयुक्त
4. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी

(iii) Bid amount Above Rs. 0.75 Cr. to 2.50 Cr.

1. अति. मुख्य अभियन्ता
2. उप आवासन आयुक्त
3. आवासीय अभियन्ता
4. लेखाधिकारी–अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by R[illegible]mi Sharma
Designation : Com[illegible]sioner
Date: 2025.0[illegible].53:43 IST
Reason: Appro[illegible]

(iv) Bid amount Above Rs. 2.50 Cr. to 5.00 Cr.

1. अति. मुख्य अभियन्ता
2. उप आवासन आयुक्त
3. आवासीय अभियन्ता
4. लेखाधिकारी–अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

(v) Bid amount Above 5.00 Cr.

1. अति. मुख्य अभियन्ता
2. उप आवासन आयुक्त
3. आवासीय अभियन्ता
4. लेखाधिकारी–अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

(C) EVALUATION OF BIDS

(a) Technical Bid :- (Bid amount 0.25 Cr to 0.75 Cr. For Horticulture work only)

1. संबंधित उप आवासन आयुक्त
2. तकनीकी सहायक– उप आवासन आयुक्त
3. संबंधित आवासीय अभियन्ता
4. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी

(b) Technical Bid :- (Bid amount above 0.25 Cr. for Electric work, above 0.75 Cr. for Horticulture work and above 1.00 Cr. for all other works)

1. संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
2. संबंधित उप आवासन आयुक्त
3. तकनीकी सहायक– अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
4. संबंधित आवासीय अभियन्ता
5. लेखाधिकारी संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

नोटः–

1. विद्युत कार्यो हेतु उपरोक्त मूल्यांकन समिति में संबंधित उप आवासन आयुक्त के स्थान पर आवासीय अभियंता विद्युत समिति के सदस्य होगें।
2. निविदा राशि रूपये 2.50 करोड़ तक की तकनीकी बिड संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
3. निविदा राशि रूपये 2.50 करोड़ से 5.00 करोड तक की तकनीकी बिड उपरोक्त मूल्यांकन समिति की अनुशंषा के आधार पर मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
4. निविदा राशि रूपये 5.00 करोड से 20.00 करोड तक की तकनीकी बिड उपरोक्त मूल्यांकन समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्नलिखित प्राधिकार समिति द्वारा समीक्षा पश्चात कार्य समिति/संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्य अभियन्ता द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

Validity unknownSignature valid
Digitally signed by R[illegible]mi Sharma
Designation : Com[illegible]sioner
Date: 2025.0[illegible].53:43 IST
Reason: Appro[illegible]

1. मुख्य अभियन्ता
2. वित्तीय सलाहकार
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

5. निविदा राशि रूपये 20.00 करोड से अधिक की तकनीकी बिड उपरोक्त मूल्यांकन समिति की अनुशंषा के आधार पर निम्नलिखित प्राधिकार समिति की समीक्षा पश्चात आवासन आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जायेगी –
   1. मुख्य अभियन्ता
   2. वित्तीय सलाहकार
   3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

(b) <u>Financial Bid</u> :-

(i) Bid amount up to Rs. 0.25 Cr.
1. आवासीय अभियन्ता
2. परियोजना अभियन्ता– वरि./कनि.
3. सहायक लेखाधिकारी

(ii) Bid amount Rs. 0.25 Cr. to 0.75 Cr.
1. उप आवासन आयुक्त
2. आवासीय अभियन्ता
3. तकनीकी सहायक–उप आवासन आयुक्त
4. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी

नोटः– विधुत कार्यो से संबंधित 0.25 Cr. से अधिक राशि की बिड सीधे ही संबंधित अतिरिक्त मुख्य अभियंता को प्रेषित की जायेगी।

(iii) Bid amount Rs. 0.75 Cr. to 2.50 Cr.
1. अति. मुख्य अभियन्ता
2. उप आवासन आयुक्त
3. तकनीकी सहायक अतिरिक्त मुख्य अभियंता
4. लेखाधिकारी–अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता

(iv) Bid amount Rs. 2.50 Cr. to 5.00 Cr
1. मुख्य अभियन्ता
2. अति. मुख्य अभियन्ता
3. तकनीकी सहायक अतिरिक्त मुख्य अभियंता
4. लेखाधिकारी–मुख्य अभियन्ता

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by R[illegible]mi Sharma
Designation : Com[illegible]sioner
Date: 2025.0[illegible].53:43 IST
Reason: Appro[illegible]

(v) Bid amount Rs. 5.00 Cr. to 20.00 Cr.

1. मुख्य अभियन्ता
2. वित्तीय सलाहकार
3. अति. मुख्य अभियन्ता

(उक्त कमेटी की अनुशंषा पश्चात आवासन आयुक्त महोदय के माध्यम से कार्य समिति/संचालक मण्डल के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी)

(vi) Bid amount above Rs. 20.00 Cr.

1. मुख्य अभियन्ता
2. वित्तीय सलाहकार
3. अति. मुख्य अभियन्ता

(उक्त कमेटी की अनुशंषा पश्चात आवासन आयुक्त महोदय के माध्यम से राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी)

(D) MONITORING OF CONTRACT

1. संबंधित आवासीय अभियन्ता
2. परियोजना अभियन्ता वरि./कनि.
3. सहायक लेखाधिकारी खण्ड कार्यालय

(E) STORE PURCHASE

(a) मुख्यालय :–

1. सचिव
2. वित्तीय सलाहकार
3. तकनीकी सलाहकार – आवासन आयुक्त
4. भण्डार शाखा का नियंत्रक अधिकारी (OIC of Store)
5. संयुक्त निदेशक आई.टी. (केवल कम्प्यूटर से संबंधित सामग्री/सेवा हेतु)

(b) वृत/खण्ड कार्यालय :–

1. उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता
2. तकनीकी सहायक–उप आवासन आयुक्त/परियोजना अभियन्ता (व.) खण्ड
3. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी

(F) ANY OTHER PURPOSE RELATING TO PROCUREMENT :-

उक्त सभी के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य उद्देश्य हेतु माननीय अध्यक्ष महोदय से स्वीकृति उपरान्त समिति का गठन कर उपापन की कार्यवाही की जा सकेगी।

उक्त आदेश माननीय अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा संबंधित पत्रावली पर अनुमोदित है।

आवासन आयुक्त
Validity unknownSignature valid

Digitally signed by R[illegible]mi Sharma
Designation : Com[illegible]sioner
Date: 2025.0[illegible]:53:43 IST
Reason: Approv[illegible]

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव–आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/निदेशक (विधि) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त .....।
8. वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक/वरिष्ठ लेखाधिकारी–I/II/III,राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. लेखाधिकारी (Payment), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. संयुक्त निदेशक (आई.टी.), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित को ई–मेल के माध्यम से भिजवाने हेतु।
11. आवासीय अभियन्ता, ई–प्रोक. प्रकोष्ठ, मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
12. आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड .....।
13. सहायक लेखाधिकारी–प्रथम (भण्डार), राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
14. कार्यालय प्रति।

Validity unknownSignature valid

Digitally signed by R[illegible]mi Sharma
Designation : Com[illegible]sioner
Date: 2025.0[illegible].53:43 IST
Reason: Appro[illegible]